सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

## झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 271 राँची ,रविवार 25 ज्येष्ठ 1936 (श०)

15 जून, 2014 (ई०)

### विधि (न्याय) विभाग ।

---

अधिसूचना

12 जून, 2014

**संख्या-ए/सी0सी0-1/2000- 1556 /जे0**--भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम-49) "प्रिवेंशन ऑफ करप्सन एक्ट, 1988" की धारा-3, 4 एवं 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में झारखण्ड उच्च न्यायालय के परामर्श से झारखण्ड राज्यपाल के निर्देश के अनुपालन में विधि विभागीय अधिसूचना संख्या-818/जे0, दिनांक-11 जून, 2001 द्वारा भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, 1988 के अंतर्गत पशुपालन घोटाले से संबंधित सभी दण्डनीय अपराधों के या उनके किसी अपराध करने के षड्यंत्र या प्रयास अथवा दुष्प्रेरणा से उद् भूत मामलों के त्वरित विचारण हेतु गठित एवं विधि विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-1272/जे0, दिनांक-7 जून, 2003 विधि विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-1571/जे0, दिनांक 15 जून, 2005, विधि विभागीय अधिसूचना संख्या-1432/जे0, दिनांक-9 जून, 2008 एवं विधि विभागीय अधिसूचना संख्या-1472/जे0, दिनांक-14 जून, 2011 द्वारा दिनांक 15 जून, 2014 तक विस्तारित सभी सात विशेष

न्यायालयों को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के परामर्श से दिनांक-16 जून, 2014 से अगले तीन वर्षों तक के लिए अर्थात् दिनांक-15 जून, 2017 तक कार्यरत रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**बी० बी० मंगलमूर्ति**,

सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी,

विधि (न्याय) विभाग, झारखंड, राँची।

**संख्या-ए/सी0सी0-1/2000- 1556 /जे0**--भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, 1988 की धारा-3, 4 एवं 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में झारखण्ड राज्यपाल द्वारा गठित सात विशेष न्यायालयों के अगले तीन वर्षों तक अर्थात् 15 जून, 2017 तक कार्यरत रहने का निम्नलिखित अंग्रेजी भाषानुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्देद-348 के खण्ड-(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**बी० बी० मंगलमूर्ति**,

सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी,

विधि (न्याय) विभाग, झारखंड, राँची।

## NOTIFICATION

The 12th June, 2014

**No.-A./C.C.-1/2000- 1556 /J--**Seven Special Courts established and extended till 15th June, 2014 vide Law Department's Notification Memo No-1472/J. dated 14th June, 2011 for Speedy trial of offence or Conspiracy to commit any Such offence or attempt to Commit any Such offences or abetment for Commission of Such offences, punishable under Prevention of Corruption Act, 1988 relating to AHD Scam Cases in compliance of the Law Department's Notification No.-818/J., dated 11th June, 2001 issued by the order of the Governor of Jharkhand in exercise of the powers conferred by Section-3, 4

and 5 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Act No. 49 of 1988) in consultation with the Hon'ble Jharkhand High Court Shall remain continued till further three Years from 16th June, 2014 till 15th June, 2017.

By the order of the Governor of Jharkhand ,

**B.B. Mangalmurti**,

Secretary-Cum-Legal Remembrancer

Law (Judicial) Department,

Government of Jharkhand, Ranchi.

---

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 271–50 ।